न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
35/2022	18.07.2022	14.11..2022

//उनवान//

1 बलवन्त सिंह ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

:— प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें भूमिधारी तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— श्री अशोक चौधरी प्रथम — वकील प्रार्थि

निर्णय **दिनांक— 14.11.2022**

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। पार्थीया के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर में स्थित होकर प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है जो जरिये विरासत प्राप्त हुई है एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड में मिन प्रार्थी का नाम बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर गलत नाम बिल्लूराम पुत्र ओमप्रकाश खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया जिस अंकन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिन प्रार्थी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग/उपभोग करने से वंचित रह रहा है तथा प्रार्थी के पहचान के समस्त दस्तावेजात में बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश के नाम का अंकन है निवेदन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित बिल्लूराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम के अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश दर्ज करने के आदेश दिया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त कराने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार के रूप में आदेशिका पर प्रकरण नाम दुरूस्ती का है अंकित करते हुये अपने हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र की ताईद में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी के साथ—साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रतियों के साथ—साथ प्रमाणितशुदा स्वयं का शपथपत्र एवं ग्राम पंचायत बल्लूवास का प्रमाणपत्र दिनांक 14.11.2022 का पेश किया। जिसके मुताबिक बिल्लूराम और बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाट ग्राम जागीवाडा का मूल निवासी है तथा [illegible] दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं एवं रिकॉर्ड का सही नाम बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश है का पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस दरख्वास्त सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थी को जरीये विरासत प्राप्त होकर पैत्रिक आराजी है तथा जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम बिल्लूराम पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम समस्त पहचान के दस्तावेजात में बलवन्तसिंह पुत्र ओमप्रकाश है जिसके बाबत प्रार्थी ने

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

नकल जमाबंदीयात के साथ–साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रतियों के साथ–साथ प्रमाणितशुदा स्वयं का शपथपत्र एवं ग्राम पंचायत बल्लूवास का प्रमाणपत्र दिनांक 14.11.2022 का पेश किया। जिसके मुताबिक बिल्लूराम और बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाट ग्राम जागीवाडा का मूल निवासी है तथा उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं एवं रिकॉर्ड का सही नाम बलवन्त सिंह पुत्र ओमप्रकाश है का पेश किया है। जिसके आधार पर प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुये प्रार्थी के प्राथनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के आ0ख0नं0 108, 109, 110, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 1000, 1001, 1002, 1003, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 145, 146, 413, 414, 520, 587, 596, 597, 553, 598, 180, 181, 461, 506, 523, 529, 65, 66, 740, 741, 764, 797, 813, 846, 847, 863, 263, 264, 416, 417, 418, 443, 444, 567, 568, 672, 673, 674, 676, 634, 642, 912, 626, 446, 447, 448, 588, 589, 590, 591, 675, 279 वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं उक्त आराजीयात के बाबत प्रार्थी के बिल्लूराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं बिल्लूराम के स्थान पर बलवन्तसिंह पुत्र ओमप्रकाश दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **14.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

14.11.2022

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:33:59 IST
Reason: SelfAttested